

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अमिताभ कौशल
सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/ संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग झारखंड।

राँची, दिनांक 03.04.2020

विषय :- वित्तीय वर्ष 2020-21 के मांग संख्या- 50-जल संसाधन विभाग(लघु सिंचाई प्रभाग) मुख्य शीर्ष-2702- लघु सिंचाई, उप मुख्य शीर्ष-02-भू-जल, लघु शीर्ष-005 अन्वेषण, उप शीर्ष-01 सर्वेक्षण और जाँच मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।


महाशय,

वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट मुख्य शीर्ष 2702- लघु सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 50 जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/ 2702-लघु सिंचाई	02- भू-जल	005-अन्वेषण/ 01-सर्वेक्षण एवं जाँच	6970.700

कुल आवंटित राशि - रुपये उनहत्तर करोड़ सत्तर लाख सत्तर हजार मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट उपबंध ₹ 11065.06 लाख (एक सौ दस करोड़ पैंसठ लाख छः हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 एवं 1681(वि०) दि० 16.06.15 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।
- प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
- सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुमान्य एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, वित्त विभाग के पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायेगी।



(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)




(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

8. वित्त विभाग के पत्रांक - 29/बी टी ई-18/2014-15 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
9. मकान किराया भत्ता मद में आवंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों के उपलब्धता के उपरांत ही अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जायेगा।
10. यदि आवंटित राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा। अतिरिक्त आवंटन की अध्याचना के विरुद्ध आवंटन तभी निर्गत किया जायेगा जब पूर्व निर्गत आवंटन के विरुद्ध शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
11. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन को छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का तुरंत प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण Online किया जाय साथ ही पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन इकाईवार हार्ड कॉपी में Access No तथा Revoke No/ Surrender No का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
12. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
14. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।
15. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च, 2021 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त


(अमिताभ कौशल)
सचिव

ज्ञापांक :- 08

रॉची, दिनांक :- 03.04.2020

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिन्डू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा/मेदिनीनगर/हजारीबाग/खूंटी/गढ़वा/गुमला/गोड्डा/चतरा/चाईबासा/धनबाद/बोकारो/रामगढ़/सरायकेला/देवघर/सिमडेगा/दुमका/गिरीडीह/जमशेदपुर/लातेहार/पाकुड़/जामताड़ा/साहेबगंज/कोडरमा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त


(अमिताभ कौशल)
सचिव

ज्ञापांक :- 08

रॉची, दिनांक :- 03.04.2020

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल-3, को Online Sanction निर्गत करने हेतु/प्रशाखा-7 को पांच अतिरिक्त प्रतियों में/ सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, ज०सं०वि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त



(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)



(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव



(अमिताभ कौशल)
सचिव

भाग संख्या-50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)
मुख्य शीर्ष-2702-लघु सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष-02 मूलजल
लघु शीर्ष-005 अन्वेषण/उप शीर्ष-01 सर्वेक्षण और जाँच

पत्रांक 08 दिनांक 03.04.2020 का अनुलग्नक

परिशिष्ट I

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष 2020-21	विरुल शीर्ष-01-वेलन एवं नर्त			विरुल शीर्ष-02-याना व्यय		विरुल शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय										विरुल शीर्ष-04-मोटरगाड़ियाँ		विरुल शीर्ष-07-अन्य व्यय		राशि लाख रुपये में	अभियुक्ति
		वेलन	15.11.2000 के पूर्व का	एलटीसी0	देशीय याना व्यय	कार्यालय व्यय	किराया, दफ्तर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियाँ इंधन एवं भ्रमण	विविध प्रभार									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका	18.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.40	0.00	19.30								
2	मुख्य अभियंता लघु सिंचाई, सेंवी	152.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.40	0.00	153.30								
3	योजना मोनेटरिंग एवं आयोजन अंचल-3, सेंवी	61.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	61.95								
4	लघु सिंचाई अंचल-चाईबासा	17.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	17.95								
5	लघु सिंचाई अंचल, दुमका	120.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	120.95								
6	लघु सिंचाई अंचल, देवघर	16.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	16.95								
7	लघु सिंचाई अंचल-मोदिनीनगर	109.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	109.95								
8	लघु सिंचाई अंचल-सेवी	83.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	83.95								
9	लघु सिंचाई अंचल-हजारीबाग	77.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	77.95								
10	लघु सिंचाई गुण नियंत्रण प्रमंडल, दुमका	30.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	30.80								
11	लघु सिंचाई गुण नियंत्रण प्रमंडल-सेवी	189.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	189.80								
12	लघु सिंचाई प्रमंडल-कोडरमा	123.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	123.80								
13	लघु सिंचाई प्रमंडल-खूँटी	246.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	246.80								
14	लघु सिंचाई प्रमंडल-गढ़वा	136.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	136.80								
15	लघु सिंचाई प्रमंडल-गिरिडीह	178.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	178.80								
16	लघु सिंचाई प्रमंडल-गुमला	213.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	213.80								
17	लघु सिंचाई प्रमंडल-गोड्डा	232.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	232.80								
18	लघु सिंचाई प्रमंडल-चतरा	158.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	158.80								
19	लघु सिंचाई प्रमंडल-चाईबासा	224.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	224.80								
20	लघु सिंचाई प्रमंडल-जमशेदपुर	343.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	343.80								
21	लघु सिंचाई प्रमंडल-जामताड़ा	250.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	250.80								
22	लघु सिंचाई प्रमंडल-दुमका	440.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	440.80								

(राजेश्वर प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

(सत्येन्द्र नारायण उपख्यात्र)
संयुक्त सचिव

(अमिताभ काशाल)
सचिव

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष 2020-21	विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्तें			विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय										विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां		विरुद्ध शीर्ष-07-अन्य व्यय		राशि लाख रुपये में	अभिवृत्ति
		वेतन	15.11. 2000 के पूर्व का	एलएटीसी०	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया, दफ्ते, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	बर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मत	विविध प्रभार							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
23	लघु सिवार्ड प्रमंडल- छानाबाद	196.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	196.80						
24	लघु सिवार्ड प्रमंडल-पाकुड़	176.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	176.80						
25	लघु सिवार्ड प्रमंडल- बोकारो	247.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	247.80						
26	लघु सिवार्ड प्रमंडल, मेदिनीनगर	196.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	196.80						
27	लघु सिवार्ड प्रमंडल-रामगढ़	210.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	210.80						
28	लघु सिवार्ड प्रमंडल-रेंची	462.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	462.80						
29	लघु सिवार्ड प्रमंडल-लातेहार	129.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	129.80						
30	लघु सिवार्ड प्रमंडल-लोहरदगा	134.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	134.80						
31	लघु सिवार्ड प्रमंडल-सरायकेला	270.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	270.80						
32	लघु सिवार्ड प्रमंडल-साहेबगंज	254.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	254.80						
33	लघु सिवार्ड प्रमंडल- सिमडेगा	170.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	170.80						
34	लघु सिवार्ड प्रमंडल- हजारीबाग	174.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	174.80						
35	लघु सिवार्ड प्रमंडल- हुसैनगढ़	152.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	152.80						
36	लघु सिवार्ड प्रमंडल एंव मोनेटसिंग	55.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	55.80						
37	लघु सिवार्ड प्रमंडल- दुमका,	224.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	224.80						
38	लघु सिवार्ड प्रमंडल, रेंची	203.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	203.80						
39	निदेशक , मूरम जल निदेशालय, रेंची	62.00	0.00	0.00	0.20	0.30	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	62.85						
40	मूरम जल सर्वेक्षण प्रमंडल-दुमका	65.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	65.80						
41	मूरम जल सर्वेक्षण प्रमंडल-रेंची	95.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	95.80						
42	मूरम जल सर्वेक्षण प्रमंडल-हजारीबाग	46.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	46.80						
	कुल आवंटन -	6935.00	0.00	0.00	9.50	11.20	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00	12.80	0.00	6970.70						

नोट: वित्त विभाग के पत्रांक 11/विविध-14/2010-39/बजट दि० 04.02.13 के आलोक में विद्युत भद में दिनांक 31.03.2013 तक का बकाया शून्य मानते हुए नये सिरे से विपरीकरण के आधार पर ही भुगतान अनुमान्य है।

कुल आवंटित राशि-

रुपये उनहत्तर करोड़ सत्तर लाख सत्तर हजार मात्र

(राजेश्वर प्रसाद)

उप सचिव(अभियंत्रण)

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)

संयुक्त सचिव

(अमिताभ कौशल)

सचिव

08

03.04.2020